न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 818/2024

1. शकुन्तला देवी पुत्री स्व0 परमेश्वरलाल
2. आशा देवी पुत्री स्व0 परमेश्वरलाल
3. सन्जू देवी पुत्री परमेश्वरलाल

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम भोड़की तह. गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

वादीगण

बनाम

1. बिशेसर उर्फ विश्वम्भर पुत्र गुल्ला उर्फ गुलाबराम
2. बनवारी लाल पुत्र स्व0 गुल्ला
3. बासुदेव पुत्र स्व0 गुल्ला
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 परमेश्वरलाल

   समस्त जाति ब्राहम्ण ग्राम भोड़की तह. गुढ़ा गौड़जी झुन्झुनू।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनू।
6. उप पंजीयक तहसील गुढागौड़जी झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

निर्णय

दिनांकः– 20/5/25

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि बनवारीलाल व वादिया ने माननीय न्यायालय उपखण्ड उदयपुरवाटी के समक्ष राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 अन्तर्गत अधिकार घोषणा बाबत् राजस्व वाद संख्या 172/2014 प्रस्तुत किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2194 रकबा 2.26 है0 जो ग्राम डूडीनगर पूर्व ग्राम भोड़की तह. उदयपुरवाटी हाल तह. गुढा गौड़जी को पैत्रिक होना बताया गया और खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया विचारण न्यायालय ने अपने आदेश तदनांक 01.05.2017 द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैत्रिक व संयुक्त खातेदारी की नहीं मानते हुए गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया था। वादिया व बनवारी ने उक्त निर्णय दिंनाक 1.5.2017 की अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई उक्त निर्णय दिनांक 1.5.2017 अन्तिम हो गया था। वादी ने उक्त पूर्ववर्ती वाद संख्या 172/2014 उनवानी बनवारी बनाम विश्वम्बर दयाल के तथ्यो को छिपाते हुयेवादिया ने एक पश्चातवर्ती वाद शकुन्तला बनाम विशेसर वास्ते घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया। वादिया द्वारा पेश वाद मुकदमा नं. 172/2014 में पक्षकार, वादी, प्रतिवादी, खसरा नम्बरान वाद विषयवस्तु व अनुतोष एक समान है वर्तमान वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद 172/2014 में दिनांक 01.05.2017 को निर्णय डिक्री हो चुका है। अतः पश्चातवर्ती वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है वाद संख्या 172/2014 विधि द्वारा वर्जित होने से वादिया का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादिया की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 जिस प्रकार वर्णित है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है जवाबदेहन्दागण के पास भूमि ख.नं. पुराना 1487 जिसके वर्तमान ख.नं. 2194 रकबा 2.26 है0 वर्तमान डूडीनगर पूर्व ग्राम भोड़की

सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

बाबत हमें कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है, यदि जानकारी हो तो जवाबदेहन्दागण न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपना हक अधिकारों के लिए अपना पक्ष रखती। यह कहना सही है कि वाद वर्णित भू–सम्पदा पैत्रिक एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो अपने पिता परमेश्वरलाल की जायज वारिस एवं उत्तराधिकारीगण है। प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2024 की प्रति प्राप्त होने के बाद अवलोकन जवाबदेहन्दागण ने वाद संख्या 172/2014 की न्यायालय से संख्यप्रतिलिपी प्राप्त करने से उस वाद की जानकारी हुई। जानकारी के अभाव में उक्त वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। वाद संख्या 172/2014 की आदेशिका का अवलोकन पर जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादीगण की रजिस्ट्रर्ड डाक तामिल करवाने की डिलीवरी रिपोर्ट बाबत आदेशिका में उल्लेख नहीं है। दिनांक 28.02.2016 से पूर्व जवाबदेहन्दागण की असालतन तामिल बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए कानूनन यह उपधारणा की जावेगी कि जवाबदेहन्दागण को मु.नं. 172/2014 बाबत कोई जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित तथ्य गलत एवं काल्पनिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है उक्त वाद पत्र की जानकारी प्रार्थी को 2023 में हो गई थी इसलिये प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादिया द्वारा पेश वाद मुकदमा नं. 172/2014 में पक्षकार, वादी, प्रतिवादी, खसरा नम्बरान वाद विषयवस्तु व अनुतोष एक समान है वर्तमान वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद 172/2014 में दिनांक 01.05.2017 को निर्णय डिक्री हो चुका है। अतः पश्चातवर्ती वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है वाद संख्या 172/2014 विधि द्वारा वर्जित होने से वादिया का दावा खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादीगण को उक्त वाद पत्र की जानकारी प्रार्थी को 2023 में हो गई थी इसलिये प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थीगण ने आपत्ति जताई कि वादिया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश वाद मुकदमा नं. 172/2014 में पक्षकार, वादी, प्रतिवादी, खसरा नम्बरान वाद विषयवस्तु व अनुतोष एक समान है वर्तमान वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद 172/2014 में दिनांक 01.05.2017 को निर्णय डिक्री हो चुका है। वादिया ने उक्त निर्णय की अपील न कर एक अन्य वादी न्यायालय में पेश किया है। अतः पश्चातवर्ती वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है वाद संख्या 172/2014 विधि द्वारा वर्जित होने से वादिया का दावा खारिज फरमाया जावे। **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार "कोई भी न्यायालय ऐसे वाद या विवाद्यक विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक**

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार अधीन हो वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और रतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चत्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया या है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।" समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

(नियम 13)

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 818/2024 शकुन्तला बनाम विशेसर आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में पारित निर्णय दिनांक 20/5/25 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20/5/25 को जारी की गई।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3		1

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर,
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं